Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

मुकेश बनाम सीता

किस्म मुकदमा.....225 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 63/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2024	अपील श्री नरेन्द्र वर्मा एड.ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास के अस्थाई प्रार्थना पत्र संख्या 58/24 मे पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.7.2024 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 48/24 प्रार्थी मुकेश बनाम बनाम हरकेश पेश हुआ था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी मुकेश की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जाकर दिनांक 4.7.24 को अन्तरिम आदेश जारी कर विवादित आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण हरकेश वगै0 को आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था। जिसमे सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 15.10.24 नियत की गई। इसके पश्चात अप्रार्थी हरकेश की पत्नि सीतादेवी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल सीतोदवी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 26.7.24 को विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट को आगामी पेशी तक पाबन्द कर दिया गया। अप्रार्थीगण/रेस्पो0द्वारा इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। सक्षम न्यायालय द्वारा समान विवादग्रस्त खसरा नम्बरान पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रकरण मे अपीलार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पश्चात अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रवर्तनीय रहते हुए द्वितीय अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश आपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एक दुसरे के विरूद्व पेश किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अलग अलग प्रकरण दर्ज कर एडमिशन पर ही बहस सुनकर दोनो पक्षो के पक्ष मे आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात समान होने के पश्चात भी दोनो पक्षो के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो विधि विरूद्व है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 58/24 मे पारित आदेश दिनांक 26.7.24 एवं प्रकरण संख्या 48/24 मे पारित आदेश दिनांक 4.7.24 आपस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनकर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन विश्लेषण कर अन्दर 3 माह मे प्रकरण का निस्तारण करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:31:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner